न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
राजस्व आवेदन संख्या :– 31/2020

प्रार्थी

1. भजनलाल पुत्र सुरताराम उम्र 32वर्ष जाति विश्नोई, निवासी–भीमथल, तहसील–धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सुरताराम पुत्र हरींगाराम उम्र 67वर्ष
2. किशनाराम पुत्र सुरताराम उम्र 45वर्ष
3. ईशराराम पुत्र अमोलख उम्र 75वर्ष
4. भागीरथ राम पुत्र ईशराराम उम्र 55वर्ष
5. किशनी पत्नी गंगाराम उम्र 50वर्ष
6. दोपी पत्नी ठाकरा राम उम्र 45वर्ष,
सभी जातियान विश्नोई, निवासी–भीमथल, तहसील–धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर।
7. प्रबंधक शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा धोरीमन्ना।
8. प्रबंधक शाखा एसबीआई गुड़ामालानी।
9. प्रबंधक बाड़मेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. धोरीमन्ना।
10. तहसीलदार धोरीमन्ना।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 26/06/20

अधिवक्ता:–

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी

–::निर्णय::–

दिनांक:– 27/12/22

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 06 व 08 के तहत श्रीमान् के न्यायालय में सरहद मौजा सुदाबेरी, पटवार हल्का सुदाबेरी के खसरा संख्या 28/3, रकबा 38–00 बीघा किस्म बारानी सोयम में विप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा एवं सरहद मौजा दुर्गाराम जांदू की ढाणी, पटवार हल्का–भीमथल के खसरा संख्या 333, रकबा 41–18 बीघा किस्म बारानी सोयम में विप्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अन्य का 1/6 हिस्सा, खसरा संख्या 6, 329 रकबा 27–11, 0[illegible] किस्म बारानी सोयम में विप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 3 का 1[illegible] हिस्सा, खसरा संख्या 335, रकबा 51–06 बीघा किस्म बारानी सोयम में विप्रार्थी संख्या [illegible] का [illegible] विप्रार्थी संख्या 3 का 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

27/12/22

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा व अन्य का 1/6 हिस्सा। सरहद मौजा शिवजी नगर पटवार हल्का–भीमथल के खसरा संख्या 362 रकबा 0–07 बीघा, किस्म गै.मु.ढाणी में विप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, खसरा संख्या 364, 364/2 रकबा 53–19, 24–08 बीघा किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम में विप्रार्थी संख्या 1 का 1/3, विप्रार्थी संख्या 3 का 1/2 व अन्य का 1/6 हिस्सा आया हुआ है। उपरोक्त समस्त आराजी में प्रार्थी के पिता सुरताराम की खसरा संख्या 28/3 में रकबा 19 बीघा, खसरा संख्या 333 में रकबा 14 बीघा, खसरा संख्या 6 व 329 में रकबा 16–04 बीघा, खसरा संख्या 335 में रकबा 17–02 बीघा तथा खसरा संख्या 364 व 364/2 में रकबा 26–02 बीघा भूमि पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा बनता है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के साथ सह खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 01 का जाईन्दा संतान है तथा प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज समस्त खातेदारी भूमि में विप्राथी संख्या 1 के शेष पुत्र विप्रार्थी संख्या 2 के साथ 1/3 हिस्से का जन्म से ही विधिक वारीश होने से हकदार हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण का खेत पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पैतृक हिस्से में आती है तथा उक्त भूमि का वक्त सेटलमेंट प्रार्थी के दादा हरींगाराम पुत्र अमोलख के नाम अमलदरामद होने से प्रार्थी का जन्म से ही हिस्सा उत्पन्न हो गया तथा हरींगाराम के फौत होने के पश्चात हिन्दू विधि अनुसार सुरताराम के नाम दर्ज हुआ परंतु सुरता के दो पुत्र प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 के पैदा होते ही सुरताराम के साथ पैतृक भूमि में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 बराबर के खातेदार हो गए इस प्रकार हिन्दू विधि में पुत्र के पैदा होते ही पिता के साथ पैतृक आराजी में हक हिस्सा उत्पन्न होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी अपने वाहमी बंटवाड़ा में प्राप्त खेत में निवास व कास्त करता है प्रार्थी के पिता विप्रार्थी संख्या 1 कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थी के साथ ही निवास करते थे इस अवधी में विप्रार्थी संख्या 2 अन्य राज्य में स्टील फर्नीचर व रेलिंग का काम करता था तथा कुछ वर्ष पूर्व विप्रार्थी संख्या 2 प्रवास से वापस आया आते ही प्रार्थी व विप्रार्थीगण की पैतृक भूमि अकेले हड़पने की नीयत से विप्रार्थी संख्या 1 के साठ वर्ष की उम्र पार करने के कारण उनके मनोस्थिति में बाल योग व हटयोग के रासायनिक परिवर्तन के बारे में शहर में रहते हुए मनोचिकित्सक से जानकारी लेकर आने के कारण इस कारक का फायदा उठाने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 को अपने साथ ले गया तथा तिर्थ यात्रा के नाम पर उनके मनोवृति को हेपनोटाईज करते हुए संपूर्ण भूमि को भीष्म पितामाह की भांति कोरवों यानि विप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अंतरण करने व सर्वप्रथम ग्राम कुडा पटवार हल्का सरनाउ तहसील सांचौर जिला जालौर के खाता संख्या 161 की 9.52 हैक्टेयर भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज संपूर्ण हिस्से में एसबीआई शाखा पांचला में रहन रखते हुए अधिकतम ऋण लेकर विप्रार्थी संख्या 2 ने हड़प लिया, अब ग्राम दुर्गाराम जांदु की ढाणी के सभी खेतों पर बीओबी शाखा धोरीमन्ना में रहन रखकर अधिकतम ऋण उठा लिया तथा इससे पूर्व बाड़मेर कॉपरेटिव बैंक से भी ऋण प्राप्त कर विप्रार्थी संख्या 2 ने हड़प लिया, अब शेष आराजी में भी अभियान चल रहा है तथा द्वितीय चरण में उक्त आराजी विप्रार्थी संख्या 2 अपने नाम करवाना चाहता है या संपूर्ण आराजी अजनबी क्रेता को बेचान कर वापस शहर की तरफ जाने की फिराक में है इस प्राकार प्रार्थी की पैतृक आराजी को विप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने के आधार पर रहन हस्तांतरण बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है अगर विप्रार्थीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने से राजस्व ग्राम दुर्गाराम ज[illegible] पटवार हल्का भीमथल के खेत खसरा सं. 333, 6, 329, 335 क्रमशः रकबा [illegible] बीघा राजस्व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

27/12/22

Scanned with OKEN Scanner

शिवजी नगर के खसरा संख्या 362, 364, 364/2 क्रमशः रकबा 0–07, 53–19, 24–08 व राजस्व ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार हल्का सुदाबेरी के खसरा संख्या 28/3 रकबा 38 बीघा का बैचान रहन व हस्तांतरण इत्यादि नहीं करे व मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा उपरोक्त आराजी में बंटवाड़े से पूर्व किसी प्रकार का पक्का निर्माण विप्रार्थीण नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण स्वयं या किसी अन्य दखलअंदाजी नहीं करवाये इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, हस्तगत प्रकरण का निर्णय हम अस्थाई व्यादेश के मूलभूत तीन बिंदुओं के अनुसार करना उचित समझते हैं।

1– प्रथम दृष्टया मामला :– इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियो के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा सुदाबेरी खुर्द, पटवार हल्का–सुदाबेरी के खसरा संख्या 28/3 रकबा 38–00 बीघा, किस्म बारानी सोयम, राजस्व मौजा–शिवजी नगर, पटवार हल्क–भीमथल के खसरा संख्या क्रमशः 362, 364, 364/2 रकबा क्रमशः 0–07, 53–19, 24–08 बीघा किस्म क्रमशः गै.मु. ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम तथा राजस्व मौजा दुर्गाराम जोन्दु की ढाणी, पटवार हल्का–भीमथल के खसरा संख्या क्रमशः 6, 329, 355, 333 रकबा क्रमशः 27–11, 4–17, 51–06, 41–18 बीघा किस्म सभी की बारानी सोयम में प्रार्थी के पिता सुरताराम वल्द हरींगाराम अन्य खातेदारों के साथ सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि वह अप्रार्थी संख्या 1 का जाईन्दा पुत्र है लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2– सुविधा का संतुलन :– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि प्रार्थी/वादी का अपने पिता की आराजी में से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी वाहमी बंटवाड़ा में प्राप्त खेत में निवास तथा काश्त कर रहा है अर्थात् प्रार्थी वाहमी बंटवाड़े के आधार पर वादग्रस्त आराजी का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इसमें यदि किसी प्रकार की बाधा कारित की जाती है तो प्रार्थी की सुविधा में हस्तक्षेप होने की पूर्ण आशंका है लिहाजा सुविधा का संतुलन को प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

3– अपूरणीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला [illegible] का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही यदि वादग्रस्त आराजी [illegible] के विचारण किसी भी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

27/12/22

Scanned with OKEN Scanner

का बैचान/अंतरण होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी अस्थाई व्यादेश के तीनों बिंदुओं यथा प्रथम दृष्ट्या का मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति को साबित करने में सफल रहने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित और विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई व्यादेश भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय का पारित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा सुदाबेरी खुर्द, पटवार हल्का–सुदाबेरी के खसरा संख्या 28/3 रकबा 38–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, राजस्व मौजा–शिवजी नगर पटवार हल्क–भीमथल के खसरा संख्या क्रमशः 362, 364, 364/2 रकबा क्रमशः 0–07, 53–19, 24–08 बीघा किस्म क्रमशः गै.मु. ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम तथा राजस्व मौजा दुर्गाराम जोन्दु की ढाणी, पटवार हल्का–भीमथल के खसरा संख्या क्रमशः 6, 329, 355, 333 रकबा क्रमशः 27–11, 4–17, 51–06, 41–18 बीघा किस्म सभी की बारानी सोयम की आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन नहीं करें और न ही उक्त आराजी का बैचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27/12/2022 को लिखाया जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner